न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/65/2022	2022/261	07.11.2022	10.02.2026

1.दामोदर लाल पुत्र पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी थोंसडी तहसील रैणी, जिला अलवर।
2.बद्री प्रसाद पुत्र पूरण मल जाति ब्राह्मण निवासी थोंसडी तहसील रैणी, जिला अलवर (मृतक)
2/1.श्रीमती विमला पत्नी बद्री प्रसाद उम्र करीब 60 साल,
2/2.श्रीमती रचना पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद उम्र करीब 40 साल.
2/3.रामप्रकाश पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद उम्र करीब 40 साल,
2/4.सतोष पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद उम्र करीब 25 साल निवासीयान थोंसडी तहसील रैणी जिला अलवर।
3.रामअवतार पुत्र पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी थोंसडी तहसील रैणी, जिला अलवर।
4.विशम्भर दयाल पुत्र पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी थोंसडी तहसील रैणी, जिला अलवर।
5.जगदीश प्रसाद पुत्र पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी थोंसडी तहसील रैणी, जिला अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार रैणी, जिला अलवर।
2.सम्पत पुत्र फूलचंद, जाति चमार, निवासी बैरवा बस्ती पी0ओ0 भूलेरी थोंसडी, तहसील रैणी जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अदालत तहसीलदार रैणी दिनांक 15.03.2021 जिला अलवर।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल — वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री सुरेश चन्द शर्मा — वकील रेस्पोडेन्ट 02
03. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रैणी जिला अलवर दिनांक 15.03.2021 से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि रेस्पो० नं0 2 को अलोटमेन्ट कमेटी राजगढ, अलवर द्वारा दिनांक 15.09.1975 को आराजी खसरा नंबर 244/24 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम खुर्द का आवंटन वास्ते काश्त हेतु किया गया । अलोटमेन्ट कमेटी के आवंटन के मुताबिक रेस्पो० नं0 2 को उक्त खसरा नंबर 244/24 वाके ग्राम खुर्द का कब्जा दिया गया तथा इसी अनुरूप रेस्पो० नं0 2 के नाम इंतकाल नं0 28 वाके ग्राम खुर्द तह० रैणी का तस्दीक किया गया। अब रेस्पो० नं0 2 के मन में बेईमानी आजाने से उक्त अलोटशुदा आराजी की बजाय खसरा नंबर 244/44 रकबा 5 बीघा अपने नाम का कागजात माल में इन्द्राज करा कर काबिज होने की नियत से इंतकाल नंबर 28 की अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की तथा अदालत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये अदालत के पीठासीन अधिकारी ने गलत तथ्यो को सही मानते हुये अपील स्वीकार कर तहसीलदार रैणी को आवंटन आदेश दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

15.09.1975 का पूर्ण अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुये रिमाण्ड कर दिया। लेकिन तहसीलदार रैणी ने आवंटन आदेश का कतई अवलोकन नहीं किया और मनमाने तरीके पर खिलाफ कानून दिनांक 15.03.2021 को उक्त इतंकाल नंबर 28 में खसरा नबर 244/24 के स्थान पर 244/44 पढे जाने का निर्णय पारित कर दिया जिस इंतकाल निर्णय दिनांक 15.03.2021 एवं इंतकाल नंबर 28 वाके ग्राम खुर्द में किये गये संशोधन के विरूद्ध अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है– रेस्पो० नं0 2 ने एक दावा अदालत उप खण्ड अधिकारी रैणी के यहां हम अपीलांटस व अन्य के विरूद्ध पेश किया है जिस दावे में हम अपीलाटस की इतिला 31.08.2022 के लिए होने पर अदालत उपखण्ड अधिकारी रैणी के यहां उपस्थित हुये लेकिन हम अपीलान्टस को दावे की नकल नही दी गई तो हमने दिनांक 30.09.2022 को दावे की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की जो दिनांक 06.10.2022 को प्राप्त हुई जिस दावे की नकल से अपीलांटस को जानकारी हुई कि रेस्पो0 नं0 2 ने हम अपीलांटस के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 61 वाके ग्राम खुर्द की बाबत दावा पेश किया जिस दावे के अवलोकन से जानकारी हुई कि खसरा नंबर 244/24 के स्थान पर 244/44 दुरूस्त कर दिया है रेस्पो० नं० 2 के दावे में उपस्थित होने पर नकल अलोटमेन्ट नकल इंतकाल प्राप्त की तथा दावे की नकल प्राप्त होने पर अलवर आकर वकील साहब से कानूनी राय ली तो उन्होने तहसीलदार रैणी के निर्णय की नकल लाने को कहा तो तब अपीलांट ने निर्णय की जानकारी की तो दिनांक 18.10.2022 को निर्णय की नकल के लिए आवेदन कर दिनांक 19.10.2022 को नकल प्रापत करके पुनः अलवर अपने वकील साहब से कानूनी राय ली तो उन्होने निर्णय व इंतकाल में हुये संशोधन के बारे में अपील करने की सलाह दी तो अपील जानकारी से अंदर अवधी पेश की जा रही है। देरी को कन्डोन हेतू प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है।

अपीलान्टस की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 61, वाके ग्राम खुर्द की बाबत रेस्पो0नं0 2 इस निर्णय व इंतकाल की आड में जबरन कब्जा कर अपीलान्टस के हितो को प्रभावित कर रहाहै इसलिये अपीलांटस के हित प्रभावित होने से अपील पेश करना लाजिमी आया है। जिस हेतु दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अपील पेश करने की अनुमति का अलग से पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व उसके तहत संशोधन किये गये इहंतकाल नंबर 28 वाके ग्राम खुर्द की बाबत अपील सुनवाई का अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार है अतः अपील अदालत हाजा में पेश की जा रही है। अपील हाजा के साथ तहसीलदार भू.अ. रैणी का निर्णय दिनांक 15.03.2021 व इंतकाल नंबर 28 ग्राम खुर्द तह० रैणी की सत्यप्रतिलिपी पेश की जा रही है। अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2 रू. चस्पा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत व स्वेच्छाचारी निर्णय है। अदालत अति० जिलाधीश द्वितीय, अलवरके आदेश के मुताबिक आवंटन आदेश दिनांक 15.09.1975 का पूर्ण अवलोकन कर पुनः विधि संमत निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया था जिस आदेश की कतई पालना अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं की बल्कि मनमाने तरीके से रेस्पो० नं0 2 को बेजा लाभ पहुंचाने की नियत से निर्णय पारित किया है। रेस्पो०नं० 2 के पक्षमें आवंटन आदेश खसरा नंबर 244/24 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम खुर्द की बाबत है जिस आवंटन आदेश का कतई अवलोकन अधिनस्थ न्यायालय ने नही किया है। आवंटन आदेश के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय को खसरा नंबर को संशोधन करने का किसी भी कानून के तहत अधिकार नहीं है आवंटन आदेश अलोटमेन्ट कमेटी का होता है जिस आदेश को अलोटमेन्ट रूल्स के मुताबिक ही परिवर्तन किया जा सकता है अधिनस्थ न्यायालय को आवंटन आदेश में संशोधन करने या आवंटन आदेश के अनुरूप दर्ज वो तस्दीक किये गये इंतकाल में शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.03.2021 में यह लिखना कि आवंटन 244/44 का हुआ है कतई गलत वो निराधार है। अधिनस्थ न्यायालय को सैटिलमेन्ट द्वारा किये गये इन्द्राज की बाबत कोई निर्णय पारित करने का भी अधिकार नही है। अन्य वजूहात वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. रैणी का निर्णय दिनांक 15.03.2021 अपास्त किये जाने की कृपा करे। अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो अता फरमाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये कि रेस्पो० नं0 2 को अलोटमेन्ट कमेटी राजगढ, अलवर द्वारा दिनांक 15.09.1975 को आराजी खसरा नंबर 244/24 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खुर्द का आवंटन किया गया। खसरा नंबर 244/24 वाके ग्राम खुर्द का कब्जा दिया गया तथा इसी अनुरूप रेस्पो० नं0 2 के नाम इंतकाल नं0 28 वाके ग्राम खुर्द तह० रैणी का तस्दीक किया गया। अदालत अति० जिलाधीश द्वितीय, अलवर के आदेश के मुताबिक आवंटन आदेश दिनांक 15.09.1975 का पूर्ण अवलोकन कर पुनः विधि संमत निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया। अधिनस्थ न्यायालय को आवंटन आदेश में संशोधन करने या आवंटन आदेश के अनुरूप दर्ज वो तस्दीक किये गये इंतकाल में शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.03.2021 में यह लिखना कि आवंटन 244/44 का हुआ है कतई गलत वो निराधार है। रेस्पोडेन्ट/वकील रेस्पोडेंट द्वारा न तो मूल पट्टा और न ही मूल पट्टे की सत्यापित प्रति पत्रावली में पेश की है। वे केवल पट्टे की प्रति पेश कर रहे हैं उसमें भी ओवर राइटिंग कर खसरा न0 244/24 के स्थान पर 244/44 किया हुआ है। हमारे द्वारा आवंटन आदेश की सत्यापित प्रति पेश की गई है जिसमें आवंटन अधिकारी (एसडीएम राजगढ) द्वारा पारित आदेश में खसरा न0 244/24 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि रेस्पोडेंट को वास्तव में खसरा न0 244/44 का आवंटन हुआ है तो पट्टे की सत्यापित प्रति पेश करें। अतः उक्त आवंटन पूर्व से ही संदेह में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित इंतकाल को निरस्त किया जावे।

वकील रैस्पोडेंट्स ने वकील प्रार्थी के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि आवंटन 15.09.1975 हुआ है। जिसमें आराजी खसरा न0 244/44 अंकित है। हम पट्टे की फोटो प्रति पेश कर रहे हैं। सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी। इंतकाल सही है। नियमानुसार दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रैणी के आदेश दिनांक 15.03.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल नम्बर 28 ग्राम खुर्द में खसरा नम्बर 244/24 के स्थान पर खसरा नम्बर 244/44 संशोधित करने का आदेश पारित किया था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 को आवंटन कमेटी राजगढ़, अलवर द्वारा दिनांक 15.09.1975 को आराजी का आवंटन किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि यह आवंटन खसरा न. 244/24 (रकबा 5 बीघा) का था, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 का दावा है कि यह खसरा न. 244/44 का था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा दिनांक 12.12.2019 अपील को रिमाण्ड करते हुए तहसीलदार रैणी के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे मूल आवंटन आदेश का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय करें। तहसीलदार रैणी ने दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

15.03.2021 को विवादित आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 244/44 को सही माना, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पारित आदेश, जिसमें खसरा नम्बर 244/24 के स्थान पर 244/44 संशोधित किया गया है, विधिक रूप से सही है या नहीं?

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 (मूल आवंटी) द्वारा अपने पक्ष समर्थन में आवंटन पट्टे की केवल फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है और वह मूल पट्टा या उसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त फोटो प्रति में ओवरराइटिंग (Overwriting) प्रतीत होती है। इसके विपरीत, अपीलार्थी द्वारा आवंटन अधिकारी (एस.डी.एम., राजगढ़) द्वारा पारित मूल आवंटन आदेश दिनांक 15.09.1975 की सत्यापित प्रति (Certified Copy) प्रस्तुत की गई है। सत्यापित प्रति का साक्ष्यिक मूल्य (Evidentiary Value), साधारण फोटो प्रति से कहीं अधिक होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की सत्यापित प्रति में स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 244/24 अंकित है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2019 के रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि अधीनस्थ न्यायालय "मूल आवंटन आदेश" का अवलोकन कर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध फोटो प्रति पर विश्वास कर और उपलब्ध रिकॉर्ड (सत्यापित प्रति) की अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। जब रिकॉर्ड में सत्यापित प्रति उपलब्ध है जो खसरा न. 244/24 दर्शाती है, तो बिना किसी ठोस आधार के उसे खसरा न. 244/44 मानना और इन्तकाल में संशोधन करना विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उन्हें मूल रूप से खसरा नम्बर 244/44 आवंटित हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2021 रिकॉर्ड के विपरीत और प्रक्रियात्मक त्रुटि से ग्रस्त है, जिसे स्थिर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ सूचनार्थ व पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)